प्रकरण संख्याः— 48ए/2016

गोपी बनाम होकमा व अन्य

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22/12/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन परताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 04.12.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र परस्तुतीकरण के उपरान्त बाद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे, जिसके कारण दिनांक 28.02.2020 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई मर्तबा अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 18.12.2020 को जवाब बंद किया जाकर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 08.07.2022 को आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.11.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30.11.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादीया, प्रतिवादी संख्या 01 के स्वयं के हस्ताक्षर है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 मौके पर अंत तक उपस्थित रहा लेकिन हस्ताक्षर नहीं किये। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादीया, प्रतिवादी संख्या 01 के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है। प्रतिवादी संख्या 02 बाद सूचना उपस्थित आए, तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 अंत तक मौके पर उपस्थित रहे, परन्तु हस्ताक्षर नहीं क़िये गये, जिसके कारण तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में वादी, प्रतिवादी सख्या 01 एवं एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते समय समस्त पक्षकारान् के उपस्थित होने एवं विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 22/12/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	